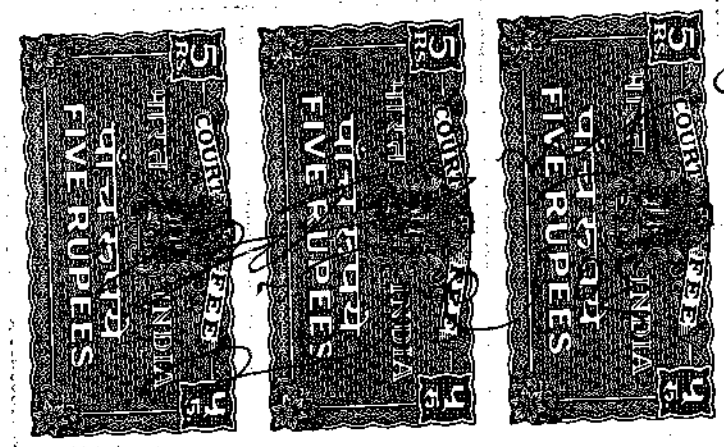

21

-1- CP 152

A-1839 II/06 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ अपील

श्री .... द्वारा आज दि० 29.9.06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बृजकिशोर पुत्र श्री रामभरोसे लाल
निवासी ग्राम कोषाड़, तहसील अटेर
जिला भिण्ड, म०प्र० -- अपीलान्ट

विरुद्ध

प्रेमकुमार तिवारी पुत्र
निवासी ग्राम कोषाड़, तहसील अटेर,
जिला भिण्ड, म०प्र० -- रिस्पा०

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक १८ अगस्त, २००६ अन्तर्गत धारा ४४ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक १४२/०५-०६ अपील।

श्रीमान,

अपील का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं हैं।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य का समुचित निर्वहन नहीं किया। उनके समक्ष अपीलान्ट की ओर से लिखित तर्क में जो आधार प्रस्तुत कियेगये थे उन पर विचार किये बिना आदेश देने में भूल हुई है।

(४) यहकि वर्तमान में विवादित भूमि तालाब के रूपमें एक लम्बे समय से उपयोग नहीं आ रही है तथा इस पर कृषि हो रही है। ऐसी स्थिति में स्थल की स्थिति के अनुसार विवादित भूमि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1838–दो/06 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 142/05–06/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–8–06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम कोचड़ स्थित विवादित शासकीय भूमि की नोइयत तालाब को काबिल काश्त घोषित किये जाने हेतु संहिता की धारा 237 के तहत एक आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला भिण्ड के न्यायालय में पेश किया गया । कलेक्टर ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने मौके की जांच के दौरान पाया कि विवादित भूमि पर मौके पर कोई तालाब नहीं है विवादित भूमि समतल है जिस पर आवेदक अपने बाबा व पिता के समय से काबिज चला आ रहा है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 8–12–05 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह	

A-1838 II/06 (भिण्ड)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश प्रकरण के तथ्य एवं कानूनी स्थिति के विपरीत हैं । अपर आयुक्त ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्त्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है । भूमि वर्तमान में एक लंबे समय से तालाब के रूप में उपयोग में नहीं आ रही है स्थिति स्थिति में स्थल की स्थिति के अनुसार विवादित भूमि को काबिल काश्त घोषित करना चाहिए था । किंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किए हैं, इस कारण उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । 4/ अनावेदक एकपक्षीय है । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि की नोइयत परिवर्तन के संबंध में है, जिसमें दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति पर विचार के पश्चात आदेश पारित किया है । उन्होंने यह पाया है कि वादग्रस्त भूमि की नोइयत तालाब से काबिल काश्त घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत से कोई राय नहीं ली गई और ना ही इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर विवादित भूमि पर बने तालाब को राज्य शासन की मंशा के अनुसार गहरीकरण कराये जाने का प्रस्ताव किया है । अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के स्वत्व के संबंध में भी अपने आदेश में विवेचना करते हुए यह पाया है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीर्श वर्ग 1 भिण्ड द्वारा इस संबंध में आवेदक का भूमि पर स्वत्व संबंधी वाद निरस्त किया जा चुका है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 1838–दो/06 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक की अपील को निरस्त करते हुए कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में ऐसी कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	